ए-12013/10/2017-प्रशा. I(बी)

भारत सरकार

नीति आयोग

नीति आयोग संविदा आधार पर परामर्शदाताओं/वरिष्ठ परामर्शदाताओं की सेवाएं लेना चाहता है। पदों और नियमों व शर्तों के साथ-साथ सेवा अवधि, पात्रता, अनुभव आदि का ब्यौरा निम्नवत हैः

1	पद का नाम	परामर्शदाता/वरिष्ठ परामर्शदाता
2	पदों की संख्या	एक (01)
3	भर्ती का तरीक़ा	खुले बाज़ार से संविदा आधारित
4	संविदा की अवधि	परामर्शदाता के तौर पर सेवाकाल 3 वर्ष तक का होगा। किंतु प्रथम और उत्तरवर्ती वर्षों के बाद संबंधित पदों पर निरन्तरता इस बात पर निर्भर करेगी कि सुस्पष्ट रूप से परिभाषित मुख्य निष्पादन संकेतकों के आधार पर वार्षिक निष्पादन समीक्षा संतोषजनक है या नहीं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अनुमोदन से, अपवादी परिस्थितियों में सेवा अवधि को तीन वर्ष से आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
5	पारिश्रमिक (प्रतिमाह)	परामर्शदाता दिशानिर्देश सं. ए-12013/02/2015-प्रशा. I(बी), दिनांक 11.11.2016 के पैरा 6 के अनुरुप। दिशानिर्देश नीति आयोग की वेबसाइट www.niti.gov.in पर उपलब्ध हैं।
6	शैक्षिक अर्हता	<u>अनिवार्य</u> i. विधि में स्नातक डिग्री <u>वांछनीय</u> i. एल.एल.एम. अथवा विधि में उच्चतर डिग्री
7	अनुभव	अभ्यर्थियों के पास कंसल्टेंसी दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम पांच वर्ष का अर्हता-उपरांत अनुभव होना चाहिए। संविदाओं/रियायत समझौतों के प्रारूपण और निष्पादन के क्षेत्र में कार्य-अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सुपात्र अभ्यर्थियों के संबंध में अपवादी मामलों में कार्य-अनुभव की अपेक्षा में ढील दी जा सकती है।
8	कार्य विवरण	विधिक मामलों पर कंसल्टेंसी

परामर्शदाताओं की सेवा शर्तें परामर्शदाता दिशानिर्देश सं. ए-12013/02/2015-प्रशा. I(बी), दिनांक 11.11.2016 के अनुरुप होंगी। ये दिशानिर्देश नीति आयोग की वेबसाइट www.niti.gov.in पर उपलब्ध हैं।

नीति आयोग को संविदा को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार होगा।

आवेदन की प्रस्तुतिः आवेदन केवल ऑनलाइन भेजे जाने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25.06.2018 है।